प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 17.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनायी गयी 10 वर्ष के कारावास की सजा व दिया गया 30,000/- रु0 अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी व 30,000/- रु0 अर्थदण्ड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.10.15 को थाना भरथना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध मे थाना भरथना पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना भरथना **मु0अ0सं0 420/15 धारा 363/366 भादवि बढोत्तरी धारा 376 भादवि व 4 पोक्सों एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री आशीष चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 17.12.2024 को में अन्तर्गत धारा 366/376 भादवि मे मा0 न्यायालय एडीजे/ टीआरसी पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राहुल पुत्र अनिल कुमार निवासी पूठ की मडैया थाना भरथना जनपद इटावा।**